— प्रेस नोट —

दिनांक-04.02.2021

जनपद मीरजापुर।

स्वाट/एसओजी व थाना को0 देहात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 50 किग्रा गांजा (कीमत करीब ₹ 3.5लाख/-) के साथ 03 अंतर्जनपदीय गांजा तस्कर अर्टिगा कार सहित गिरफ्तार—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व मादक पदार्थों के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में स्वाट/एसओजी व थाना कोतवाली देहात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 50 किग्रा गांजा के साथ 03 अंतर्जनपदीय गांजा तस्करों को अर्टिगा कार सहित गिरफ्तार किया गया। दिनांक 03.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात, प्रभारी स्वाट टीम व एसओजी टीम मय हमराह क्षेत्र की देखभाल में मामूर थे कि सूचना मिली की ड्रमण्डगंज की तरफ से आ रही अर्टिगा में अवैध गांजा लदा है। इस सूचना पर करनपुर पहाड़ी ढ़लान से उतरकर पुलिया के पास पुलिस टीम द्वारा छिपकर उक्त वाहन का इंतजार किया जाने लगा। कुछ समय बाद एक अर्टिगा कार आती दिखाई दी , जिसे पुलिस टीम द्वारा हीकमत अमली से कार को रोकने का इशारा किया गया। चालक ने कार रोका तो कार में सवार दो व्यक्ति गेट खोलकर भागने का प्रयास करने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। चालक सहित तीनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो क्रमशः अपना नाम पता 1- विक्रम सिंह सोनी पुत्र श्रीमान सिंह निवासी सुलेम सराय थाना धुमनगंज जनपद प्रयागराज, 2- राकेश सिंह यादव उर्फ सोनू पुत्र मुंशी यादव निवासी सलारपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, 3- अमित पटेल पुत्र जयकरन पटेल निवासी वोर्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ (चालक) बताया गया। पुलिस टीम द्वारा कार की तलाशी लेने पर पिछली सीट पर प्लास्टिक की दो बोरियों से प्लास्टिक के पैकेटो में रखा 05-05 बंडल कुल 10 बंडल अवैध गांजा मिला , प्रत्येक बंडल का वजन 05 किग्रा था, इसप्रकार कुल 50 किग्रा अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मध्य प्रदेश/छतीसगढ़ से गांजा लाते है जहां अच्छा दाम मिलता है वही बेच देते है। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0-33/2021 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अर्टिगा कार का कोई वैध कागजात न देने के कारण कार को धारा 207 एम0वी0 एक्ट के तहत सीज कर गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1- विक्रम सिंह सोनी पुत्र श्रीमान सिंह निवासी सुलेम सराय थाना धुमनगंज जनपद प्रयागराज।

2- राकेश सिंह यादव उर्फ सोनू पुत्र मुंशी यादव निवासी सलारपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

3- अमित पटेल पुत्र जयकरन पटेल निवासी वोर्रा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी विवरण—

1-कुल 50 किग्रा अवैध गांजा (कीमत करीब ₹ 3.5 लाख/-)।

2-एक अदद अर्टिगा कार वाहन संख्या-यूपी 70 एफएल 4342.

3- तीन अदद मोबाइल फोन(अभियुक्तगण के पास से).

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान—

दिनांक 03.02.2021, समय 21.25 बजे व स्थान करनपुर पहाड़ी के पास से।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

1-प्र0नि0 विजय कुमार चौरसिया थाना को0 देहात, मीरजापुर।

2-उ0नि0 रामस्वरुप वर्मा प्रभारी स्वाट टीम, मीरजापुर।

3-उ0नि0 लव सिंह चौकी प्रभारी करनपुर थाना को0देहात मीरजापुर।

4-हे0का0 लालजी यादव एसओजी टीम, मीरजापुर।

5-हे0का0 बृजेश सिंह स्वाट टीम मीरजापुर।

6-हे0का0 वीरेन्द्र सरोज स्वाट टीम मीरजापुर।

7-हे0का0 राज सिंह राणा स्वाट टीम मीरजापुर।

8-हे0का0 राजेश सिंह यादव स्वाट टीम मीरजापुर।

9-हे0का0 रविसेन सिंह स्वाट टीम मीरजापुर।

10-हे0का0 सुमित सिंह थाना को0देहात मीरजापुर।

11-हे0का0 रामदुलार यादव थाना को0देहात मीरजापुर।

12-का0 संदीप राय स्वाट टीम मीरजापुर।

13-का0 भुपेन्द्र सिंह स्वाट टीम मीरजापुर।

14-का0 मनीष सिंह एसओजी टीम मीरजापुर।

15-का0 अजय यादव एसओजी टीम मीरजापुर।

16-का0 विनय कुमार राय थाना को0देहात मीरजापुर।

17-का0 नितिल सिंह सर्विलांस टीम मीरजापुर।

18-का0 आशुतोष सिंह सर्विलांस टीम मीरजापुर।

19-का0 मिथिलेश यादव सर्विलांस टीम मीरजापुर।